न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 35/2017

अपीलांट

1. देवाराम पुत्र भैराराम
2. भाणी देवी पत्नी भैराराम
3. उकूडी देवी पुत्री भैराराम पत्नी खरताराम जातियान– घांची, निवासीगया–जोधपुरीया दरवाजा के अंदर, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. कानाराम पुत्र शिवराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली, राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री रमेश टांक, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/09/2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा बमुकदमा संख्या 86/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि सोजत चक 2 के खसरा संख्या 981 रकबा 2.5300 हैक्टर

में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 968 रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रूप से अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 968 में से 30 फीट चौडाई की भूमि रास्ता हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। जो विधि के प्रावधानो के विरूद्ध है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 25.12.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 968 मे से वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का आना जाना नही होता है तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी कृषि कुए पर आने जाने वाले रास्ते से अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 981 में से आते जाते है। साथ ही तहसीलदार सोजत द्वारा उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया उक्त नजरी नक्शे मे यह स्पष्ट दर्शित किया है कि रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। साथ ही रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 981 के लगते हुए स्वयं की तथा अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 987, 990, 996, 998, 1101, 1000, 1006 आई हुई स्थित है। जिसमें स्वयं रेस्पोडेन्ट संयुक्त खातेदार काश्तकार है जो कृषि भूमि रास्ते से चिपती हूई कृषि भूमि है जिस रास्ते से होते हुए रेस्पोडेन्ट अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 981 में आने जाने हेतु उपयोग–उपभोग करता है। अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 968 में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 981 में आने जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नही है और न ही खसरा संख्या 968 में से वर्तमान में प्रार्थी का आना जाना होता है न कभी आना जाना हुआ है। खसरा संख्या 981 एवं 968 के मध्य मे चार फीट उचा मिट्टी का धोरा व उसके उपर चार फीट उचाई तक बबूल के कांटे की बाड़ की हुई है। तथा रेस्पोडेन्ट बेरे पर जाने वाले रास्ते से अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 981 मे आते जाते है। रेस्पोडेन्ट का खसरा संख्या 981 पर आने जाने का रास्ता विद्यमान है। न्यायालय द्वारा कराये गये मौका निरीक्षण में कार्यालय तहसीलदार सोजत से दिनांक 25.12.2012 को जो मौका रिपोर्ट पेश की गई उसमे भी रेस्पोडेन्ट की कृषि जोत की भूमि खसरा संख्या 968 रकबा 1.6500 हैक्टर मे से होकर के प्रार्थी का आना जाना नही होना बताया गया है। इन तमाम तथ्यो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि सोजत चक 2 के खसरा संख्या 981 रकबा 2.5300 हैक्टर में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 968 रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे मे खसरा संख्या 999, 1000 के अन्दर होकर अन्य काश्तकारों की भूमियों में से प्रार्थी की भूमि में आवागमन दर्शाया है उसका उत्तर देते हुए कथन किया कि प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 981 मं जाने हेतु तहसीलदार सोजत द्वारा दर्शाया गया रास्ता गलत है क्योकि खसरा संख्या 999 व 1000 सहित अन्य संदर्भित खसरा नम्बरो के खातेदार काश्तकार अलग अलग है तथा खातेदारान द्वारा अपनी भूमियों की सुरक्षार्थ दीवारे व तारबंदीयां करवाई जा चुकी है, जिसके कारण प्रार्थी का अवागमन अवरूद्ध होने के साथ–साथ रास्ता बन्द हो चुका है। वर्तमान मे प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) का अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का कोई मार्ग विद्यमान नही है, अतः चाहा गया मार्ग सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि कि रेस्पोडेन्ट्स कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि सोजत चक 2 के खसरा संख्या 981 रकबा 2.5300 हैक्टर में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 968 रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं तहसीलदार सोजत से रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है कि "प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 981 मं जाने हेतु तहसीलदार सोजत द्वारा दर्शाया गया रास्ता गलत है क्योकि खसरा संख्या 999 व 1000 सहित अन्य संदर्भित खसरा नम्बरो के खातेदार काश्तकार अलग अलग है तथा खातेदारान द्वारा अपनी भूमियों की सुरक्षार्थ दीवारे व तारबंदीयां करवाई जा चुकी है, जिसके कारण प्रार्थी का अवागमन अवरूद्ध होने के साथ–साथ रास्ता बन्द हो चुका है। वर्तमान मे प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट) का अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का कोई मार्ग

विद्यमान नही है, एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा जो तथाकथित मार्ग जाहिर किया है, वह भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है, चुकि खातेदारान द्वारा अपनी भूमियों की सुरक्षार्थ दीवारे व तारबंदी करना जाहिर किया गया है, तो उन्हे हटा कर रास्ता उपलब्ध करवाया जाना उस स्थिति तक न्यायिक नही होगा, जब तक वैकल्पिक मार्ग से सुलभ आवागमन प्रदान न करवाया जा सके।" अतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अन्तर्गत आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के रेकर्डेड मार्ग अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। उक्तानुसार जैर अपील आदेश में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा बमुकदमा संख्या 86/12 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन जोशिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
7/09/2021